CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

धारा 376 (2) भारतीय दंड संहिता

संरक्षण में बलात्कार

संरक्षण में हुए बलात्कार के केस में जब यह सिद्व हो जाता है कि सम्भोग आरोपी द्वारा किया गया है और महिला कोर्ट में यह गवाही देती है कि सम्भोग उसकी सहमति के बिना हुआ है, तब कोर्ट यह मानेगी कि महिला की सहमति नहीं थी।

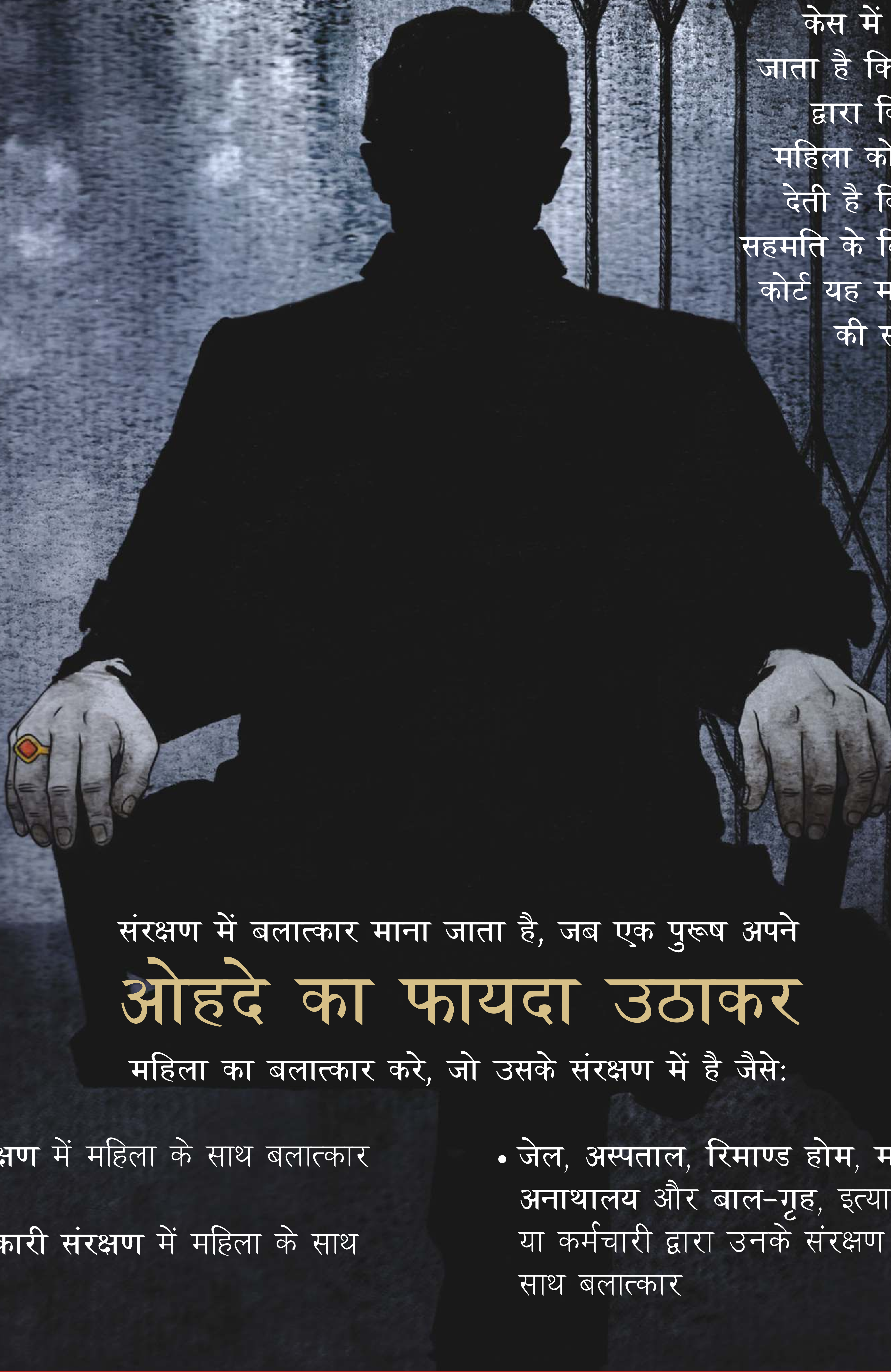

संरक्षण में बलात्कार माना जाता है, जब एक पुरूष अपने

ओहदे का फायदा उठाकर

महिला का बलात्कार करे, जो उसके संरक्षण में है जैसे:

- **पुलिस संरक्षण** में महिला के साथ बलात्कार
- **लोक अधिकारी संरक्षण** में महिला के साथ बलात्कार
- **जेल, अस्पताल, रिमाण्ड होम, महिला आश्रम, अनाथालय** और **बाल-गृह**, इत्यादि के प्रबंधक या कर्मचारी द्वारा उनके संरक्षण में महिला के साथ बलात्कार

संरक्षण में बलात्कार की सज़ा - धारा 376 (2) भारतीय दंड संहिता

कम से कम 10 साल की जेल या उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माना

UNIFEM
UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN

MARG
MULTIPLE ACTION RESEARCH GROUP